न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : बलदेवाराम धोजक, RAS

अपील संख्या 78/2015

1 जीवण राम शर्मा उम्र 75 वर्ष पुत्र श्री लादूराम शर्मा जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम बागोरा तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनू (राज.)

अपीलांट

बनाम

1 मोहम्मद जीवण खां उम्र बालिग अवस्था पुत्र श्री नूर मोहम्मद जाति सिक्का मुसलमान निवासी 7 बती के पास उदयपुरवाटी तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनू (राज.)

2 राजस्थान सरकार लैण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनू (राज.)

रेस्पोडेंट

प्रथम अपील विरूद्ध निर्णय व डिक्री दिनांक 23.06.2015
श्रीमान एस.डी.ओ साहब, उदयपुरवाटी कैम्प कोर्ट बागोरा
नंगल कैम्प स्थल उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी बमुकदमा
जीवण खां बनाम जीवणराम आदि दावा बाबत
बंटवारा मु.नं. 36/2014

उपस्थिति :

1. श्री सुशील कुमार जोशी, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री राजेन्द्र बुडानिया, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर(कैम्प झुन्झुनू)

भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर

-निर्णय-

दिनांक:- 7.6.24

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी द्वारा मुकदमा नम्बर 36/2014 में पारित निर्णय दिनांक 23.06.2015 के विरूद्ध प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय के समक्ष वादी रेस्पोडेन्ट ने भूमि खसरा नम्बर 1292/104 वाके ग्राम बागोरा के संदर्भ में विभाजन का वाद प्रस्तुत किया। अपीलार्थी प्रतिवादी नम्बर 1 के रूप में पक्षकार है जिसमें अपीलार्थी की तलबी हेतु पत्रावली 31.01.2014 से प्रस्तुति समन से चली आ रही थी। दिनांक 25.11.2014 को पुनः अपीलार्थी की तलबी हेतु आगामी पेशी दिनांक 17.12.2014 नियत फरमाई गई जिस पर अपीलार्थी की आरे से वकील श्री बनवारीलाल का वकालतनामा पेश किया गया तथा पी. ओ.साहब दौर पर होने से पत्रावली की आदेशिका पर दौरे की मुहर लगाकर आगामी पेशी 06.002.2015 नियत की गई तथा दिनांक 06.02.2015 को भी पी. ओ साहब के दौरे पर होने से आगामी पेशी पूर्वानुसार दौरे की मोहर लगाकर 26.03.2015 नियत की गई। दिनांक 26.03.2015 को अपीलार्थी/प्रतिवादी की ओर से जबाब दावा हेतु अवसर चाहा गया जो न्यायालय द्वारा दिया गया। पत्रावली वास्ते जबाब दावा दिनांक 27.04.2015 को नियत की गई। तत्पश्चात दिनांक 27.04.2015, 07.05.2015 एवं 25.05.2015 को पी.ओ साहब के दौरे पर होने से पूर्व आदेशानुसार मोहर लगाकर जबाब हेतु आगामी पेशी 29.06.2015 नियत की गयी परन्तु आगामी पेशी से पूर्व ही अपीलार्थी को कोई सूचना दिये बगैर दिनांक 23.06.2015 को अपीलार्थी की उपरोक्त पत्रावली कैम्प कोर्ट बागोरा नांगल कैम्प स्थल उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी में पत्रावली अनाधिकृत रूप से पेशी में ली जाकर अपीलार्थी व प्रतिवादी नम्बर 2 के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाया जाना अंकित कर यह दर्शित करने का प्रयास किया कि प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के विरूद्ध दिनांक 12.11.2014 को एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लायी जा चुकी है जबकि उपरोक्त वर्णित

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

विवरण के अनुसार अपीलार्थी प्रतिवादी नम्बर 1 की ओर से योग्य विचारण न्यायालय के समक्ष तामिल होकर पहली बार वकालतनामा दिनांक 17.12.2014 को न्यायालय में पेश हुआ है इससे पूर्व की तारीख पेश दिनांक 27.11.2014 की आदेशिका पर प्रतिवादी नम्बर 1 अपीलार्थी की तलबी हेतु आदेश जारी किया गया है। इस प्रकार दिनांक 12.11.2014 को अपीलार्थी के विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही होने का प्रश्न ही नहीं है। इस प्रकार आलौच्य आदेश दिनांक 23.06.2015 में विचारण न्यायालय का यह अंकित करना कि अपीलार्थी के विरूद्ध दिनांक 12.11..2014 की एकतरफा कार्यवाही कर दी गई। इसके उपरांत विचारण न्यायालय ने विचाराधीन निर्णय से वाद वादी डिक्री किया है। इससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय ने दिनांक 23.06.2015 को अपीलार्थी प्रतिवादी नम्बर 1 को बिना कोई सूचना दिये पत्रावली कैम्प कोर्ट में मंगवाकर अपीलार्थी के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही की गई है। विचारण न्यायालय के समक्ष रेस्पोडेन्ट संख्या 1 वादी का वाद पत्र बाबत बंटवारा अन्तर्गत धारा 188 आर.टी.एक्ट के तहत पेश किया हुआ था जिसके लिये दोनों पक्षों को सुना जाना आवश्यक है। प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त की दृष्टि से भी बंटवारे के दावें के लिये दोनों पक्षों को उपस्थित एवं सुनवाई का अवसर दिया जाना न्यायोचित एवं आवश्यक है। विचारण न्यायालय ने अपने निर्णय में दिये गये विवरण से स्पष्ट है कि अपीलार्थी को जबाबदेही तथा सबुत शहादत पेश करने का कोई अवसर नहीं दिया। आलौच्य आदेश में विचारण न्यायालय ने कोई रिजनिंग अथवा कोई फाईंडिंग भी नहीं दी है। विचारण न्यायालय का निर्णय व डिक्री स्पीकिंग ऑर्डर की श्रेणी में भी नहीं आता है। विचारण न्यायालय के समक्ष वादी जो अपील में रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 है जो विवादित भूमि खसरा नम्बर 1292/104 में 0.15 हैक्टैयर भूमि का खातेदार बनना कहता है। उस विक्रय पत्र की वैधता की सिविल न्यायाधीश (व.ख.) उदयपुरवाटी के न्यायालय में चुनौती दी गई है

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनू)

जो मुकदमा उनवानी विनोद कुमार बनाम जीवण खां जिसके मु.नं. 09/2014 है जिसमें आगामी पेशी दिनांक 23.07.2015 नियत है। इस मुकदमें का निर्णय होने से पूर्व इस विवादित विक्रय पत्र के आधार पर रिकार्ड में किसी भी प्रकार का अमल दरामद कियां जाना न्यायोचित एवं विधिनूकुल नहीं है। आलौच्य आदेश की आड़ में विपक्षीगण रेवेन्यू रिकार्ड में अमल दरामद करने को अमादा है। तथा विवादित भूमि में गैर कानूनी ढंग से कुर्रेजात बनाकर नाजायज विभाजन दिखाने पर अमादा है। यदि विपक्षीगण अपनी गैर कानूनी कार्यवाही में सफल हो जाते है तो अपीलार्थी को भयंकर क्षति होगी तथा अपीलार्थी के हकुको पर भयंकर कुठाराघात होगा जिसकी पूर्ति जैर नकद अथवा अन्य किसी प्रकार से भी नहीं की जा सकेगी। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार फरमाई जाकर निर्णय व डिकी विचारण न्यायालय द्वारा जारी मुकदमा उनवानी मो. जीवणखां बनाम जीवणराम आदि मु.नं. 36/2014 का निर्णय व डिकी दिनांक 23.06.2015 को निरस्त फरमाया जावें तथा वैकल्पिक तौर पर अपीलार्थी यह भी निवेदन करता है कि आलौच्य निर्णय व डिकी निरस्त फरमाया जाकर पत्रावली विचारण न्यायालय को इस आदेश के साथ प्रति प्रेषिम फरमाई जावें कि अपीलार्थी प्रतिवादी नम्बर 1 को जबाब दावा एवं सबुत शहादत पेश करने का अवसर दिया जाकर विवादित भूमि खसरा नम्बर 1291/104 के रिकार्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखने हेतु विपक्षीगण को पाबन्द किया जावें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय में प्रतिवादी अपीलांट के विरूद्ध सम्यक तामील के उपरांत पैरवी नहीं करने पर विधि अनुसार एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई है। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से विभाजन की प्राथमिक डिकी जारी की है। इसमें कोई विधिक त्रुटि नहीं है। अपील सारहीन है। खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विचारण

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर/(कैम्प झुन्झुनूं)

न्यायालय में पत्रावली में अप्रार्थी संख्या 1 अपीलांट की जरिये वकील दिनांक 17.12.2014 को उपस्थिति हुई है। पत्रावली दिनांक 26.03.2015 को वास्ते जवाब दावा नियत की गई है। इसके उपरांत विधिक प्रकिया अनुसार जवाब दावा प्राप्त किये बिना, जवाब दावा बंद किये बिना सीधे ही विचारण न्यायालय द्वारा पत्रावली कैम्प कोर्ट में रखकर विचाराधीन निर्णय पारित किया गया है।

यहां यह भी विचारणीय है कि विचारण न्यायालय की आदेशिका दिनांक 23.06.2015 में प्रतिवादी अपीलांट के विरूद्ध दिनांक 12.11.2014 को एकपक्षीय कार्यवाही अमल मे लाने का अंकन है। इसके विपरित विचारण न्यायालय की आदेशिका दिनांक 17.12.2014 में प्रतिवादी अपीलांट की जरिये वकील उपस्थिति होकर वकालतनामा पेश करने का अंकन है एवं इसके उपरांत पत्रावली जवाब दावा पेश करने हेतु नियत चल रही है। विचारण न्यायालय की आदेशिका परस्पर विरोधाभाषी है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत नहीं माना जा सकता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय अपास्त किया जाता है एवं प्रकरण विचारण न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि अपीलांट को जवाबदेही का अवसर प्रदान कर तनकी कायम कर साक्ष्य प्राप्त कर बाद सुनवाई प्रकरण में गुणावगुण पर पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें। उभयपक्ष विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 01.07.2024 को उपस्थिति देवें।

निर्णय आज दिनांक 7.6.24 को सरे इजलास सुनाया गया।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
(कैम्प झुन्झनूं)

(बलदेवाराम धोजक)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर